

शुभकरण सिंह

बनाम

अभयराज सिंह एवं अन्य।

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12012-12013/2025)

05 मई 2025

(न्यायमूर्ति श्री जे.बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति श्री आर. महादेवन)

विचारणीय बिंदु

क्या याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 18 नियम 17 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी, उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अस्वीकार की गई थी।

शीर्ष टिप्पणियाँ[†]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 18, नियम 17 – न्यायालय गवाह को पुनः बुला कर परीक्षण कर सकता है – इसके तहत शक्ति – क्षेत्र/दायरा – उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 18, नियम 17 के तहत दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया था – शुद्धता:

अभिनिर्धारित: वाद का विचारण कर रहे न्यायालय के पास गवाह को पुनः बुलाने और उसकी पुनःपरीक्षा करने की शक्ति अनन्य रूप से होती है – वाद के पक्षकार पूछे गए प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते और न्यायालय की अनुमति के बिना किसी गवाह का प्रतिपरीक्षण भी नहीं कर सकते – नियम 17 के तहत वापस बुलाए गए गवाह से प्रश्न पूछने का अधिकार केवल न्यायालय को दिया गया है और ऐसे प्रश्नों के उत्तरों पर न्यायालय की अनुमति के बिना सामान्यतः प्रतिपरीक्षण भी अनुमत नहीं है – अतः, नियम 17 के तहत किसी पक्षकार के अनुरोध पर गवाह को परीक्षा, प्रतिपरीक्षण या पुनः परीक्षा के उद्देश्य से पुनः बुलाया नहीं जा सकता – हालांकि, यदि परिस्थितियाँ अपेक्षित करती हैं, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, न्यायालय द्वारा किसी पक्ष को परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनःपरीक्षा के लिए गवाह को वापस बुलाने का अवसर प्रदान किया जा सकता है – आदेश 18, नियम 17 के तहत शक्ति का उपयोग अस्पष्टताओं को दूर करने और बयान को स्पष्ट करने के लिए किया जाना है, न कि किसी पक्ष के मामले में कमी को पूरा के लिए – इस शक्ति का प्रयोग विरल रूप से और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए – विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज की गई – साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 165। [कंडिका 7, 8, 10, 13]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 18, नियम 17 – न्यायालय गवाह को पुनः बुला कर परीक्षण कर सकता है – आदेश 18, नियम 17 के तहत शक्ति – दायरा और प्रयोग [कंडिका 7, 8, 12]

वादीराज नागप्पा वर्णेकर बनाम शरदचंद्र प्रभाकर गोगटे [2009] 2 एस.सी.आर. 1071 : (2009) 4 एस.सी.सी. 410; के.के. वेलुसामी बनाम एन. पलानीसामी [2011] 4 एस.सी.आर. 31 : (2011) 11 एस.सी.सी. 275 – संदर्भित।

सुलतान सालेह बिन उमर बनाम विजयचंद्र सिरमल, ए.आई.आर. 1966, ए.पी. 295 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; साक्ष्य अधिनियम, 1872

कीवर्ड की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 18 नियम 17; गवाह को पुनः बुलाने और पुनः परीक्षण करने का अधिकार; आदेश 18 नियम 17 के अंतर्गत बुलाया गया गवाह; प्रश्न पूछने का अधिकार केवल न्यायालय को दिया गया; गवाह का प्रतिपरीक्षण; न्यायालय की अनुमति के बिना।

किससे उद्भूत मामला

असाधारण अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 12012-12013/2025।

विविध याचिका संख्या 7624/ 2024 और आर पी संख्या 117/2025 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 07.01.2025 और 27.02.2025 से क्रमशः

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

याचिकाकर्ता के वकील:

मो. नौशाद आलम, संदीप कुमार पाठक, विनीत उपाध्याय, सौरभ कंसल।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. छूट आवेदन अनुमत किया जाता है।
2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
3. यह याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिनांक 7-1-2025 को विविध याचिका संख्या 7264/2024 में पारित आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता – द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, “सी.पी.सी.”) के आदेश 18 नियम 17 के प्रावधानों के तहत दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।
4. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका संख्या 117/2025 भी दायर की थी। यह पुनरीक्षण याचिका दिनांक 27-2-2025 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी।

5. ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता उपर्युक्त दोनों आदेशों को चुनौती देना चाहता है।
6. आदेश 18 नियम 17 इस प्रकार है:—
“17. न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम में ऐसे किसी भी साक्षी को पुनः बुला सकेगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है और (तत्समय प्रवृत्त साक्ष्य की विधि के अधीन रहते हुए) उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो न्यायालय ठीक समझे।”
7. यह नियम न्यायालय को वह शक्ति प्रदान करता है जो किसी मामले के उचित संचालन के लिए आवश्यक है। यदि किसी वाद का विचारण कर रहे न्यायालय को कार्यवाही के किसी भी चरण में यह आवश्यक लगे कि किसी गवाह को पुनः बुलाना और आगे की परीक्षा करना आवश्यक है, तो वह हमेशा ऐसा कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा निर्णय लिखते समय भी किया जा सकता है। तथापि, यह उचित है कि इस शक्ति का प्रयोग हल्के ढंग से नहीं किया जाना चाहिए और नियम यह है कि इसका उपयोग विरल रूप से और केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही किया जाना चाहिए। इस शक्ति का उपयोग अस्पष्टताओं को दूर करने, बयान को स्पष्ट करने के लिए किया जाना है, न कि किसी पक्षकार के मामले में कमी को भरने के उद्देश्य से। यह सत्य है कि इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय अपनी पहल पर कर सकता है और इसे किसी पक्षकार के अनुरोध पर भी किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 यह उपबंध करती है कि किसी न्यायाधीश को सुसंगत तथ्यों का पता लगाने या उचित सबूत प्राप्त करने के लिए, वह किसी भी गवाह से, किसी भी समय, किसी भी सुसंगत तथ्य के बारे में, किसी भी रूप में, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। यह धारा आगे उपबंध करती है कि पक्षकार ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई आपत्ति करने के हकदार नहीं होंगे, और न ही न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर में दिए गए किसी भी जवाब पर किसी भी गवाह से प्रति-परीक्षा कर सकते हैं। यदि आदेश 18 नियम 17 के प्रावधानों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि किसी गवाह को पुनः बुलाने और पुनःपरीक्षण करने की शक्ति विशेष रूप से वाद का विचारण कर रहे न्यायालय की है। वाद के पक्षकार पूछे गए प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं और न ही उन्हें न्यायालय की अनुमति के बिना किसी गवाह की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी जा सकती है।
8. हमारी राय में, उक्त नियम यह पूर्णतः स्पष्ट करता है कि नियम 17 के तहत पुनः बुलाए गए गवाह से प्रश्न पूछने का अधिकार केवल न्यायालय को दिया गया है, और ऐसे प्रश्नों के उत्तर में दिए गए जवाबों पर न्यायालय की अनुमति के बिना सामान्यतः प्रतिपरीक्षण भी अनुमत नहीं है। अतः, इस नियम के अधीन किसी पक्षकार के अनुरोध पर किसी गवाह को परीक्षण, प्रतिपरीक्षण या पुनः परीक्षण के उद्देश्य से पुनः तलब नहीं किया जा सकता और यह नियम ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभिप्रेत नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए यह नियम लागू किया जा सकता है, वह वही है जो ऊपर इंगित किया गया है।
9. इस संदर्भ में, हम सुलतान सालेह बिन उमर बनाम विजयचंद सिर्मल [ए.आई.आर. 1966, ए.पी. 295] में किए गए निम्नलिखित अवलोकनों का उल्लेख कर सकते हैं, जो उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुरूप हैं:

“इस नियम का गहन अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि इस नियम के अंतर्गत किसी भी चरण पर प्रश्न पूछने या इस उद्देश्य से किसी गवाह को पुनः तलब करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। न्यायालय पुनः बुलाए गए गवाह से प्रश्न पूछ सकता है, और न्यायाधीश द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों पर प्रतिपरीक्षण सामान्यतः न्यायालय की अनुमति के बिना अनुमन्य नहीं है...। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि किसी पक्षकार को परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनःपरीक्षा करने के उद्देश्य से किसी गवाह को वापस बुलाने का अवसर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 17 द्वारा शासित होता है...।”

10. हमारी राय है कि, यदि परिस्थितियाँ अपेक्षित करती हैं, तो किसी पक्षकार को गवाह को पुनः तलब कर परीक्षण, प्रतिपरीक्षण या पुनःपरीक्षण करने का अवसर न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत निहित अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए प्रदान कर सकता है।

11. इस न्यायालय ने *वादीराज नागप्पा वर्णेकर बनाम शरदचंद्र प्रभाकर गोगटे* के मामले में, जो (2009) 4 एससीसी 410 पर रिपोर्ट किया गया है, विशेष रूप से कंडिका 28 में, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

“28. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 17 के प्रावधानों के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग विरल रूप से और उपयुक्त मामलों में किया जाना चाहिए, न कि केवल इस आधार पर कि गवाह को वापस बुलाने और पुनःपरीक्षा करने से पक्षों को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, इसे सामान्य नियम के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह आदेश 18 नियम 17 सी.पी.सी. की योजना या मंशा नहीं है।”

(ज़ोर दिया गया)

12. *के.के. वेलुसामी बनाम एन. पलानीसामी* के मामले में, जो (2011) 11 एससीसी 275 पर रिपोर्ट किया गया है, इस न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 17 के तहत न्यायालय की शक्ति पर चर्चा की। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह शक्ति केवल स्पष्टीकरण के लिए है, अर्थात्, यह न्यायालय को किसी भी मुद्दे या संदेह को स्पष्ट करने में सक्षम बनाती है जो उसे पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में हो सकता है। यह शक्ति न्यायालय को किसी भी गवाह को वापस बुलाने की अनुमति देती है ताकि न्यायालय स्वयं ऐसे गवाह से प्रश्न पूछ सके और उत्तर प्राप्त कर सके। प्रासंगिक कंडिका 9, 10 और 19 इस प्रकार हैं:

“9. संहिता का आदेश 18 नियम 17 ऐसा प्रावधान नहीं है जो पक्षकारों को अपनी आगे की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के लिए किसी भी गवाह को वापस बुलाने या अतिरिक्त सामग्री या साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया हो, जिसे साक्ष्य अभिलिखित करते समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। आदेश 18 नियम 17 मुख्य रूप से न्यायालय को किसी भी मुद्दे या संदेह को स्पष्ट करने में सक्षम बनाने का प्रावधान है। यह न्यायालय को स्वयं की पहल पर या किसी भी पक्ष के अनुरोध पर किसी गवाह को पुनः तलब करने की अनुमति देता है, ताकि न्यायालय स्वयं प्रश्न पूछ सके और उत्तर प्राप्त कर सके। एक बार जब किसी गवाह को इस तरह के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से पुनः बुलाया जाता है, तो न्यायालय निश्चित रूप से पक्षों को कुछ प्रश्न पूछकर न्यायालय की सहायता करने की अनुमति दे सकता है।

10. संहिता का आदेश 18 नियम 17 ऐसा प्रावधान नहीं है जिसका उद्देश्य पक्षकारों को अपनी आगे की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के लिए किसी भी गवाह को पुनः बुलाने या अतिरिक्त सामग्री या साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना हो, जिसे साक्ष्य अभिलिखित करते समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। आदेश 18 नियम 17 मुख्य रूप से न्यायालय को किसी भी मुद्दे या संदेह को स्पष्ट करने में सक्षम बनाने का प्रावधान है। यह न्यायालय को स्वयं की प्रेरणा पर, या किसी भी पक्ष के अनुरोध पर किसी गवाह को पुनः तलब की अनुमति देता है, ताकि न्यायालय स्वयं प्रश्न पूछ सके और उत्तर प्राप्त कर सके। एक बार गवाह को इस प्रकार केवल स्पष्टीकरण के उद्देश्य से पुनः बुलाया जाता है, तो न्यायालय, स्वाभाविक रूप से, पक्षकारों को भी कुछ प्रश्न पूछकर सहायता करने की अनुमति दे सकता है।

XXX

XXX

XXX

“19. हम एक सावधानी का शब्द जोड़ना चाहेंगे। संहिता की धारा 151 या आदेश 18 नियम 17 के तहत शक्ति का उपयोग केवल मांगने भर पर नियमित रूप से किए जाने के लिए अभिप्रेत नहीं है। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह विचारणों को शीघ्र निराकरण हेतु संहिता में किए गए विभिन्न संशोधनों के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। परंतु, जहाँ

आवेदन सद्भावपूर्ण पाया जाता है और जहाँ अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय को मुद्दों पर साक्ष्य स्पष्ट करने में सहायता करेगा और न्याय प्रदान करने में मदद करेगा, तथा न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि पहले साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के पीछे पर्याप्त और वैध कारण थे, वहाँ न्यायालय अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए गवाह को पुनः बुला सकता है या नया साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन यदि वह ऐसा करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रक्रिया विलंब करने की रणनीति न बन जाए। इसके लिए न्यायालय को सबसे पहले विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए अन्य पक्ष को उपयुक्त लागत प्रदान करनी चाहिए। दूसरा, न्यायालय को देरी से बचने के लिए मामले को एक निश्चित समय सारणी के भीतर हाथ में लेना और पूरा करना चाहिए। तीसरा, यदि आवेदन हानिकारक, या तुच्छ, या लापरवाही या कमियों को छिपाने वाला पाया जाता है, तो इसे भारी लागत के साथ अस्वीकार कर देना चाहिए।”
(जोर दिया गया)

13. जैसा कि उपर्युक्त स्पष्ट की गई विधि की स्थिति है, उसके दृष्टिगत, विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।
14. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, वे भी निराकृत समझे जाएँगे।

मामले का परिणाम: विशेष अनुमति याचिकाएँ खारिज की गईं।

† शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गयीं: द्वारा दिव्या पांडेय

(प्रतीक राय द्वारा अनुवादित)